(175)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण कमांक 447–तीन/2007 निगरानी – विरूद्व आदेश दिनांक 7–2–2007 पारित व्दारा – अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा – प्रकरण कमांक 479/2001–02 अपील

मो.बसीर पुत्र मोहेद्वीन मुसलमान
ग्राम सितलहा तहसील त्योंथर
जिला रीवा मध्य प्रदेश ——आवेदक

विरूद्व

1– मुस.नूरजहॉ 2– मुस. शायरा अंसारी
3– मुस. असीदुन्निसा पुत्रियॉ अब्दुल्ला
ग्राम सतलहा तहसील त्योंथर जिला रीवा ——अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री आर.एस.सेंगर)
(अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित–एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 17–8–2017 को पारित)

अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 479/2001–02 अपील में पारित आदेश दिनांक 7–2–2007 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदक ने अपर तहसीलदार जवां के समक्ष बसीयतनामा प्रस्तुत कर मांग की कि अब्दुल्ला बक्स पुत्र गाजीवक्स ने ग्राम नींवा की भूमि सर्वे कमांक 165, 166 की उसके हित में बसीयत की है । उसकी मृत्यु होने से बसीयत के आधार पर नामान्तरण किया जाय। अपर

तहसीलदार जवां ने प्रकरण कमांक 41 अ—6/2000—01 पॅजीबद्व किया तथा नामान्तरण पर आपत्ति न होने के आधार पर आदेश दिनांक 14—2—2002 से नामान्तरण कर दिया। इस आदेश के विरूद्व अनावेदकगण ने मृतक अब्दुल्ला बक्स की पुत्रियां होने एंव एकपक्षीय कार्यवाही होने के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी त्योंथर के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी त्योंथर ने प्रकरण कमांक 175/2000—01 अपील में पारित आदेश दिनांक 19—3—02 से अपर तहसीलदार जवां का आदेश दिनांक 14—2—2002 निरस्त कर दिया तथा प्रकरण हितबद्व पक्षकारों की सुनवाई उपरांत पुनः आदेश पारित करने हेतु प्रत्यावर्तित किया। इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण कमांक 479/2001—02 अपील में पारित आदेश दिनांक 7—2—2007 से अपील अस्वीकार की। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित अधारों पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है।

4/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव अनुविभागीय अधिकारी त्योंथर के आदेश दिनांक 19—3—2002 एंव अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के आदेश दिनांक 7—2—2007 के अवलोकन पर स्थिति यह है कि अनुविभागीय अधिकारी त्योंथर ने अपर तहसीलदार जवां के प्र.क. 41 अ—6/ 2000—01 का परीक्षण कर निष्कर्ष दिया है कि आवेदक ने अपर तहसीलदार के समक्ष बसीयत के आधार पर नामान्तरण हेतु जो आवेदन प्रस्तुत किया है उसमें मृतक बसीयतकर्ता को पक्षकार बनाकर दावा लगाया गया है । नियमानुसार मृत व्यक्ति के विरूद्व प्रस्तुत दावा ग्राह्य योग्य एंव प्रचलन—योग्य नहीं होता । अपर तहसीलदार की आर्डरशीट दिनांक 12—11—2000 में उल्लेखित है कि इस्तहार तामील होकर प्राप्त कोई आपत्ति

प्राप्त नहीं हुई। तामील कुनिन्दा व्दारा दिनांक 24—11—2000 को तामील कराने का उल्लेख है जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी ने अपर तहसीलदार व्दारा की गई कार्यवाही मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 178 एंव 32 के अनुसार होना नहीं पाई । जब मृतक अब्दुल्ला बक्स की विधिक वारिस उसकी पुत्रियॉ थीं, उन्हें नामान्तरण प्रकरण में पक्षकार बनाया जाना लाजमी था किन्तु पक्षकार नहीं बनाया गया और न ही व्यक्तिगत सूचना दी गई। इन्हीं कारणों से अनुविभागीय अधिकारी त्योंथर ने प्रकरण कमांक 175/2000—01 अपील में पारित आदेश दिनांक 19—3—2002 से अपर तहसीलदार जवां के आदेश दिनांक 14—2—2002 को निरस्त करके प्रकरण हितबद्व पक्षकारों की सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित किया है जिसके कारण अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने अनुविभागीय अधिकारी त्योंथर के आदेश को हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 479/2001—02 अपील में पारित आदेश दिनांक 7—2—2007 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस.एस.अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर